

**SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 263  
THE CRIMINAL  
CODE, 1898**

**OR 264 OF  
PROCEDURE**

In the court of, प्रतियोगिता अवस्था जीएमएफसी गौहद

प्रकरण क्रमांक 73 / 2018

Name and address of the complain मंगल शासन द्वारा पुलिस  
स्थाना एण्डोरी जिला प्रशासन भिण्ड मंगल

name, parentage, caste and address of accused-

1. पुष्पेन्द्र सिंह तामर पुत्र सहस्रीलाल सिंह तामर उम्र 28 वर्ष  
निवासी- ग्राम पडराल, स्थाना एण्डोरी तहसील गौहद जिला भिण्ड

The offence complained of, and date of its alleged  
commission

तुम घटना दिनांक 30.04.2018 के 21:50 बजे हनुमान जी के मंदिर के पास  
शरता ग्राम पडराल में अपने आधिपत्य में 30 बघाटर देशी शराब विधि विरुद्ध तरीके से  
बिना किसी आज्ञा के अवैध रूप से संग्रह कर विक्रय के आशय से रखे हुये पाये  
गये।

तुम्हारा उपरोक्त कार्य आवकारी अधिनियम की धारा 34 के अंतर्गत  
दण्डनीय होकर इस न्यायालय के संज्ञान में है। स्पष्ट करो अपराध स्वीकार है या  
विचारण चाहते हो।

The plea of the accused and his examination [if any]--

आरोपी का अभिवाक-

अपराध स्वीकार है

पुष्पेन्द्र सिंह

प्रतियोगिता अवस्था

न्यायिक प्रशासन प्रभाग  
गौहद- भिण्ड- जिला (म.प्र.)

The offence proved, if any in, case under clause (d),  
clause (e), clause (f) or clause (g), of sub-section (1) of  
section 260, the value of the property in respect of which the  
offence has been committed.

## // निर्णय //

(आज दिनांक 14.05.18 को पारित किया गया)

1. अभियुक्त को आवकारी अधिनियम की धारा 34 के अपराध की विशिष्टियां पढ़कर सुनायी एवं समझायी जाने पर उसने अपराध करना स्वेच्छा पूर्वक स्वीकार किया है आरोपी की स्वेच्छा स्वीकारोक्ति पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता है अतः उक्त स्वेच्छा स्वीकारोक्ति के आधार पर आरोपी को आवकारी अधिनियम की धारा 34 के अंतर्गत दोषसिद्धि ठहराया जाता है।
2. अभियुक्त के प्रथम अपराध होने एवं प्रकरण के तथ्य व परिस्थितियों को देखते हुए उसे न्यायालय उठने तक की सजा एवं अर्थदण्ड अधिरूपित करने से ही न्याय के उद्देश्यों से ही पूर्ति हो सकती है।
3. फलस्वरूप आरोपी को आवकारी अधिनियम की धारा 34 के अंतर्गत न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 2500/- रुपये के अर्थदंड तथा अर्थदंड की राशि में व्यतिक्रम होने पर बीस दिवस के साधारण कारावास के दंड से दंडित किया जाता है।
4. प्रकरण में जप्तशुदा शराब नष्ट की जावे।
5. आरोपी स्वतंत्र हो।

स्थान-गोडद

दिनांक- 14/05/18

निर्णय आज दिनांकित एवं  
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया

*RS*

14/5/18

(प्रतिनिधि अवसर)

प्रो. रमेश कृष्ण गोडद

मेरे निर्देशानुसार दंडित किया गया

*RS*

14/5/18

(प्रतिनिधि अवसर)

प्रो. रमेश कृष्ण गोडद

गोडद जिला- निम्न निपट